न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 210/2012

उनवान

1. हंसराज पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. काना पुत्र हीरा
3. छगना पुत्र हीरा
4. पूतर पुत्री हीरा
5. रूकमा पुत्री हीरा
6. छोटी पुत्री हीरा
7. कमला पुत्री हीरा
8. बदाम पत्नी छगना
9. रामनारायण पुत्र उगमा
10. सनभर पुत्री उगमा
11. नीर पुत्री उगमा
12. नाराज पुत्री उगमा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद, अजमेर।

—— प्रतिवादी :– 1 जरियें राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92 ए राज. काश्त. अधि

–: निर्णय :– दिनांक :– 5.2.19

वाद मानीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुआ है कि अपीलांट के पक्ष में रामी द्वारा निष्पादित वसीयत में रामी के पति का नाम माधु अंकित है जो लिपिकीय त्रुटि है या नही ? इस सम्बन्ध में तनकी कायम की जा कर व समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाकर गुणवगुण पर पुनः निर्णित करे।

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के खाता संख्या 436/72 किता 47 रकबा 8.78 व खाता संख्या 437/73 खसरा नम्बर 4020, 4021, 4022, 4467, 5322, 6321, 6370 किता 6 रकबा 5.34 की आराजी के खातेदार केसर पत्नी हीरा, लादू, उगमा, छगना, काना पि0

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

हीरा दर्ज थे। केसर पत्नी हीरा की मृत्यु हो चुकी है जिसके 4 पुत्र लादू, उगमा, काना, छगना हुये जिसमें से लादू की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। एवं लादू की पत्नी रामी पत्नी लादू ने कोई औलाद नही होने से अपने जीवनकाल में आराजी मुतनाजा में से अपना हिस्सा जरियें वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित किया। इस प्रकार वादी उक्त आराजी पर रामी के जीवनकाल से काबिज काश्त चला आ रहा है।

अतः वसीयत के आधार पर रामी पत्नी लादू के हिस्से की आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही स्वीकार किया। पूर्व में राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वसीयतनामा का रेकार्ड से मिलान नही होता है। वसीयत रामी पत्नी माधू द्वारा की गयी है जबकि राजस्व अभिलेख में आराजी रामी पत्नी लादू के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा मे से अधिकांश आराजी बैंक के नाम रहन दर्ज है। उक्त आराजी रामी पत्नी लादू की स्व अर्जित नही होकर पैतृक है। वसीयत कर्ता रामी पत्नी माधु आराजी मुतनाजा की खातेदार नही है। गलत वसीयतनामें के आधार पर वादी को खातेदार घोषित करने से अन्य सहखातेदार के हितों पर विपरित प्रभाव पडेगा। अतः वाद खारिज किया जावे।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 से 12 को माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों में पक्षकार बनाया गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 से 12 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रसत आराजी वादी की वसीयतशुदा होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
   — वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी स्व अर्जित नही होने से व रेकार्ड से मेल नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?
   — प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व वसीयत पत्र पेश किया एवं वादी हंसराज व गवाह छगना का शपथ पत्र पूर्व में पेश किया। व पत्रावली रिमाण्ड होने के बाद घीसालाल का शपथ पत्र पेश किया।

राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

आराजी मुतनाजा लादू, उगमा, काना, छगना पि0 हीरा व अन्य सहखातेदारो के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। लादू की मृत्यु होने से उक्त आराजी उसकी पत्नी रामी पत्नी लादू के नाम दर्ज की गयी। वादी का कथन है कि उक्त खातेदार के कोई औलाद नही होने से उसके द्वारा उक्त आराजी वादी के पक्ष में जरियें वसीयत निष्पादित की गयी। अतः आराजी मुतनाजा में रामी पत्नी लादू के हिस्से की आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत रामी पत्नी माधु द्वारा की गयी है वादी का कथन है कि वसीयत करते समय त्रुटि से रामी पत्नी लादू के स्थान पर रामी पत्नी माधु दर्ज हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, ग्राम पंचायत तिहारी द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र व रामी के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसके पति का नाम लादू अंकित है। उक्त शजरे के अनुसार रामी के कोई जायन्दा वारिस नही है। वादी का मतदाता परिचय पत्र में वादी के पिता का नाम लादू ही अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

रामी के पति का नाम लादू ही है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार भी रामी के पति का नाम लादू ही है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 23.8.11 की पंजीकृत वसीयत में रामी के पति का नाम माधू अंकित है। उक्त वसीयत में जिन खसरा नम्बर की वसीयत वादी के नाम की गयी है वह समस्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में रामी पत्नी लादू के नाम अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वसीयम रामी पत्नी लादू ने ही वादी के पक्ष में निष्पादित की थी। किन्तु त्रुटिवश वसीयत में रामी के पति का नाम लादू के स्थान पर माधू अंकित हो गया। लादू व माधू के नाम उच्चारण में समान ही है। जिससे उक्त त्रुटि होना स्वभाविक है। राजस्व अभिलेख व वाद के कथनों से स्पष्ट है कि रामी को उक्त आराजी जरियें विरासत प्राप्त हुयी थी। ऐसी स्थिति में आराजी मुतनाजा रामी पत्नी लादू की स्व अर्जित नही हो कर पैतृक सिद्व होती है। जिस कारण प्रकरण में अन्य सहखातेदार व उगमा, काना, छगना पि0 हीरा भी हितबद्व पक्षकार है जिन्हे माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशो की पालना में प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। किन्तु उक्त पक्षकारो ने न्यायालय में उपस्थित हो कर वाद के तथ्यों का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से वसीयत में रामी के पति का नाम लादू के स्थान पर माधू त्रुटिवश अंकित होना सिद्व होता है। रामी द्वारा वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 5347, 5349, 5352, 5356 व 5364 का बैचान कर दिया है अतः उक्त खसरा नम्बर पर वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। शेष खसरा नम्बर वादी के वसीयतशुदा होने से तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 2883, 2884, 2885, 2886, 4015, 4016, 4433, 4434, 4436, 4437, 4438, 5315, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5946, 5965, 5968, 6341/6504, 6347, 6350, 6358, 6364, 6367, 6385, 6389, 6390, 6394, 6395, 6396, 6397, 6410, 6413, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 4020, 4021, 4022, 4467, 5322, 6321, 6370 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर रामी पत्नी लादू के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कन्हैयालाल बनाम सीताराम वगै0

दावा बाबत :– 88,188, 91, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 210/2012
पेश करने की दिनांक – 27.10.18 रिमाण्ड से प्राप्त

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिनाल कतई-रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 2883, 2884, 2885, 2886, 4015, 4016, 4433, 4434, 4436, 4437, 4438, 5315, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5946, 5965, 5968, 6341/6504, 6347, 6350, 6358, 6364, 6367, 6385, 6389, 6390, 6394, 6395, 6396, 6397, 6410, 6413, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 4020, 4021, 4022, 4467, 5322, 6321, 6370 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर रामी पत्नी लादू के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 02 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुद्दई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner